न्यायालय–जिला न्यायाधीश, सलुम्बर(राज.)

पीठासीन अधिकारी : रामेश्वर प्रसाद चौधरी, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

प्रकरण संख्या : 19/2025 मु.दी.
सी.आई.एस नंबरः–97/2022
सी.एन.आर नंबर–RJSA010002722022

1. अभय कुमार गांधी पिता स्व. बदामीलाल गांधी, जाति जैन, उम्र 70 वर्ष
2. कैलाश गांधी पिता स्व. बदामीलाल गांधी, जाति जैन, उम्र 62 वर्ष
3. मनोज कुमार गांधी पिता स्व. बदामीलाल गांधी, जाति जैन, उम्र 54 वर्ष
   सभी निवासी गांधी चौक, सलूम्बर जिला–उदयपुर हाल जिला–सलूम्बर(राज.)

.....**प्रार्थीगण**

बनाम

1. सर्व साधारण
2. श्रीमती चंदा पुत्री स्व. बदामीलाल गांधी, जाति जैन, उम्र 67 वर्ष
   पत्नी श्री सुमति भाई गडिया, जाति जैन निवासी गांधी चौक, सलूम्बर
   हाल मुकाम 574, ढाला बाजार संत्रामपुर पंचमहल (गुजरात)
3. श्रीमती मीना पुत्री बदामीलाल गांधी, जाति जैन, उम्र 56 वर्ष
   पत्नी श्री राजकुमार गांधी, निवासी गांधी चौक, सलूम्बर जिला–उदयपुर
   हाल जिला–सलूम्बर(राज.)
4. RSWMLIMIT Rajasthan Spinning and weaving Mill,
   kharigram P.O. Gulabpura, Distt. Bhilwada (Raj.)

....**विपक्षीगण**

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925

उपस्थितः–

1. श्रीमति सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता–प्रार्थीगण की ओर से।
2. विपक्षी संख्या 1 व 4 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।
3. श्री नाहर सिंह चुण्डावत, विपक्षी संख्या 2 व 3 की ओर से।

–::आदेश::–

दिनांक 01.05.2026

1. प्रार्थीगण अभय कुमार गांधी व अन्य की ओर से विरूद्ध विपक्षीगण हस्तगत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 372 उत्तराधिकार अधिनियम, दिनांक 03.07.2022 को पेश किया गया, जो बाद जांच दिनांक 21.07.2022 को अपर जिला न्यायाधीश, सलूम्बर में पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपरांत में सलूम्बर मुख्यालय पर जिला एवं सेशन न्यायालय का सृजन हो जाने से प्रकरण निस्तारण हेतु इस

न्यायालय को अंतरित किया गया।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि—प्रार्थीगण कस्बा सलूम्बर, तह. सलूम्बर जिला—उदयपुर के निवासी है तथा प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 2 व 3 के पिता मृतक श्री स्व. बदामीलाल जी गांधी भी गांधी चौक, सलूम्बर जिला—उदयपुर के मुस्तकिल तौर से निवासी थे। बदामीलाल जी का देहांत दिनांक 01.04.1999 को हो गया था तथा स्व. बदामीलाल की जी पत्नी श्रीमती बसंती बाई का स्वर्गवास दिनांक 12.11.2010 को हो चुका है। बदामीलाल जी की मृत्यु के बाद उनके विधिक वारिसान अभय कुमार, कैलाश, मनोज कुमार, चंदा एवं मीना है। स्व. बदामीलाल जी गांधी ने अपने जीवनकाल में विपक्षी संख्या 4 से 464 शेयर खरीदे थे। स्व. बदामीलाल गांधी के RSWLIO/DPID-CLIENT ID No. G0000009 थे, जिनके शेयर का मूल्य 5800/—रूपये था। स्व. बदामीलाल ने अपने उक्त खाते में कोई नोमिनी भी तय नहीं किया था। मृतक स्व. बदामीलाल की दोनों पुत्रियां विपक्षी संख्या 2 व 3 ने उक्त शेयर या शेयर की राशि प्राप्त नहीं करने एवं अपने भाई प्रार्थी संख्या 1 से 3 के पक्ष में त्यागने का कहने के कारण उन्हें उक्त उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी नहीं कराने के प्रार्थनापत्र में प्रार्थी पक्षकार के रूप संयोजित नहीं किया जाकर विपक्षी संख्या 2 से 3 के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रार्थीगण ही स्व. बदामीलाल के प्रथम श्रेणी के वारिसान है। बदामीलाल जी की मृत्यु हो जाने से अब प्रार्थीगण ही उक्त शेयर प्राप्त करने के अधिकारी है। स्व. बदामीलाल ने अपने जीवन काल में कोई वसीयत किसी के हक में नहीं लिखी थी। इसलिए प्रार्थीगण ही स्व. बदामीलाल जी के एक मात्र प्रथम श्रेणी के वारिसान एवं कायम मुकाम होने से उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थनापत्र में आगे अभिवचन किया गया है कि आवेदनपत्र आप न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होकर प्रार्थनापत्र निश्चित न्यायशुल्क पर मय शपथपत्र पेश है। अन्त में निवेदन किया है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण को मृतक श्री स्व. बदामीलाल गांधी के RSWM LIMIT के 464 शेयर के उत्तराधिकारी घोषित करने का उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र जारी किया जावे।

3. विपक्षी संख्या 01 के संबंध में सूचना अखबार में छाया किए जाने के बावजूद तथा विपक्षी 4 की तामील हो जाने बावजूद उनकी ओर से कोई न्यायालय में उपस्थित नहीं आया है और ना ही प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र का कोई जवाब ही इनकी

ओर से पेश किया गया है।

4. विपक्षी संख्या 2 व 3 की ओर से प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र का जवाब पेश कर इन दोनों ही विपक्षीगण ने प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र के अभिवचनों को स्वीकार किया है तथा विशेष कथन में अभिवचन किया है कि वे स्व. बदामीलाल जी की पुत्रियां है तथा वे उक्त शेयर या शेयर की राशि प्राप्त नहीं करना चाहती है एवं अपने भाई प्रार्थीगण के पक्ष में त्यागना चाहती है, इसलिए प्रार्थनापत्र की मद संख्या 02 में वर्णित शेयर एवं उसकी राशि का उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र प्रार्थीगण के पक्ष में जारी किया जो तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अन्त में इन्होंने प्रार्थीगण के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी करने का निवेदन किया है।

5. प्रार्थीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में ए ड 1 के रूप में प्रार्थी कैलाश गांधी का मुख्य परीक्षा का शपथपत्र पेश कर इसे न्यायालय में परीक्षित करवाया गया तथा दस्तजावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 01 प्रदर्श से प्रदर्श 06 तक को प्रदर्शित करवाया गया। विपक्षीगण की ओर से साक्ष्य पेश नहीं की गई, जिस पर उनकी साक्ष्य बंद की गई।

6. बहस अंतिम सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. दौराने बहस प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थनापत्र के अभिवचनों को दोहराते हुए प्रार्थनापत्र के जरिए चाहा गया अनुतोष प्रदान करने का निवेदन किया है।

8. दौराने बहस विपक्षी संख्या 2 व 3 की ओर से जवाबी प्रार्थनापत्र के अभिवचनों को दोहराते हुए प्रार्थीगण के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी करने का निवेदन किया है।

9. प्रार्थीगण की ओर से साक्ष्य में प्रार्थी कैलाश गांधी का मुख्य परीक्षा का शपथपत्र पेश किया गया तथा न्याायलय में पी ड 1 के रूप में परीक्षित होते हुए दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए। प्रार्थी कैलाश गांधी ने मुख्य परीक्षा के शपथपत्र में प्रार्थनापत्र के अभिवचनों को दोहराया तथा मुख्य रूप से कथन किया है कि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 2 व 3 के पिता मृतक श्री स्व. बदामीलाल जी गांधी का देहांत दिनांक 01.04.1999 को हो गया था तथा स्व. बदामीलाल की जी पत्नी श्रीमती बसंती बाई का स्वर्गवास दिनांक 12.11.2010 को हो चुका है। बदामीलाल जी की मृत्यु के बाद उनके विधिक वारिसान अभय कुमार, कैलाश, मनोज कुमार, चंदा एवं मीना है। स्व. बदामीलाल जी गांधी ने अपने जीवनकाल में विपक्षी संख्या 4 से 464 शेयर खरीदे थे। स्व. बदामीलाल गांधी के RSWLIO/DPID-CLIENT ID No.

G0000009 थे, जिनके शेयर का मूल्य 5800/–रूपये था। स्व. बदामीलाल ने अपने उक्त खाते में कोई नोमिनी भी तय नहीं किया था। मृतक स्व. बदामीलाल की दोनों पुत्रियां विपक्षी संख्या 2 व 3 ने उक्त शेयर या शेयर की राशि प्राप्त नहीं करने एवं अपने भाई प्रार्थी संख्या 1 से 3 के पक्ष में त्यागने का कहने के कारण उन्हें उक्त उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी नहीं कराने के प्रार्थनापत्र में प्रार्थी पक्षकार के रूप संयोजित नहीं किया जाकर विपक्षी संख्या 2 से 3 के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रार्थीगण ही स्व. बदामीलाल के प्रथम श्रेणी के वारिसान है। बदामीलाल जी की मृत्यु हो जाने से अब प्रार्थीगण ही उक्त शेयर प्राप्त करने के अधिकारी है। स्व. बदामीलाल ने अपने जीवन काल में कोई वसीयत किसी के हक में नहीं लिखी थी। इसलिए प्रार्थीगण ही स्व. बदामीलाल जी के एक मात्र प्रथम श्रेणी के वारिसान एवं कायम मुकाम होने से उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त करने के अधिकारी है। इस गवाह ने दस्तावेजी साक्ष्य में शेयर असल प्रदर्श 1, बदामीलाल जी का मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रति प्रदर्श 2, श्रीमती बसंती बाई के मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रति प्रदर्श 3, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए सूचना जो प्रकाशित की गई, वह प्रदर्श 4, समाचारपत्र का बिल एवं भुगतान की रसीद प्रदर्श 5 व 6 पेश कर प्रदर्शित करवाए।

10. प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अभिवचन एवं प्रार्थी पी ड 1 कैलाश गांधी की प्रस्तुत उपरोक्त मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का कोई खंडन विपक्षी संख्या 1 व 4 की ओर से कोई जवाबी अभिवचन या साक्ष्य पेश कर नहीं किया गया है। विपक्षी संख्या 2 व 3 ने प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र के अभिवचनों स्वीकार करते हुए इन्होंने विशेष कथनों में अभिवचन किया है कि वे स्व. बदामीलाल जी की पुत्रियां है तथा वे उक्त शेयर या शेयर की राशि प्राप्त नहीं करना चाहती है एवं अपने भाई प्रार्थीगण के पक्ष में त्यागना चाहती है, इसलिए प्रार्थनापत्र की मद संख्या 02 में वर्णित शेयर एवं उसकी राशि का उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र प्रार्थीगण के पक्ष में जारी किया जो तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थीगण की ओर से प्रदर्शित प्रदर्श ए 1 के अनुसार प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 2 व 3 के पिता स्व. बदामीलाल द्वारा RSWM LIMIT के 464 शेयर कीमतन 5800/–रूपये क्रय किया जाना प्रकट होता है। प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 2 व 3 के पिता बदामीलाल जी गांधी की मृत्यु हो जाने के संबंध में मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रति प्रदर्श 2 तथा प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 2 व 3 की माता श्रीमती बसंती बाई का मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रति प्रदर्श 3 पेश की गई, जिससे प्राथीगण एवं विपक्षी संख्या 2 व 3 के पिता एवं माता की मृत्यु क्रमशः दिनांक 01.04.1999 व 12.11.2010 को हो जाना प्रकट होता है। प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र में वर्णित अभिवचनों का एवं प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत की गई उक्त मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का कोई जवाब या खण्डन विपक्षी 4 की ओर से

प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसी परिस्थिति में प्रार्थीगण की साक्ष्य पर किसी भी प्रकार से अविश्वास किए जाने का कोई कारण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 02 में वर्णितानुसार 464 शेयर एवं इनकी राशि प्राप्त करने के लिए अपने नाम से उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः उक्त विचेनानुसार प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

—::<u>आदेश</u>::—

11. (1) अतः प्रार्थीगण अभय कुमार गांधी व अन्य की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 372 उत्तराधिकार अधिनियम इस आशय का स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थीगण अभय कुमार गांधी, कैलाश गांधी एवं मनोज कुमार गांधी मृतक स्व. श्री बदामीलाल गांधी के पुत्र होने के कारण उत्तराधिकारी होने से उक्त तीनों प्रार्थीगण द्वारा आज दिनांक से **एक माह** के भीतर 464 शेयर के वर्तमान मूल्य के अनुसार नियमानुसार न्यायशुल्क अदा करने पर मृतक स्व. श्री बदामीलाल गांधी के RSWLIO/DPID-CLIENT ID No. G0000009 के जो 464 शेयर है, वे प्राप्त करने हेतु उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी कर दिया जावे।

(2) प्रार्थीगण के उपरोक्त शेयर के लाभांश देय हो तो उनके संबंध देय लाभांश का विवरण संबंधित कंपनी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें तथा उक्त आधारा पर देय न्यायशुल्क विनिश्चित कर एक माह की अवधि में प्रस्तुत करें।

(3) प्रार्थीगण की ओर से इस आशय की अण्डर टेकिंग पेश की जावे कि भविष्य में स्व. श्री बदामीलाल गांधी के 464 शेयर तथा इनकी लाभांश राशि का अन्य दावेदार होने पर वे न्यायालय के आदेशानुसार उक्त शेयर एवं इनकी लाभांश राशि लौटाने को बाध्य होंगे।

(रामेश्वर प्रसाद चौधरी)
जिला न्यायाधीश, सलुम्बर(राज.)

11. आदेश आज दिनांक 01.05.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रामेश्वर प्रसाद चौधरी)
जिला न्यायाधीश, सलुम्बर(राज.)